

कार्यालय उप निदेशक फायर सर्विस बरेली परिक्षेत्र बरेली

पत्र संख्या: 2015/14649/पीली/पीलीभीत/206/डी0डी0 031

दिनांक: अक्टूबर 06 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद पीलीभीत।

विषय: खसरा संख्या-3/1 ग्राम मानपुर बीसलपुर बीसलपुर-बिलसण्डा रोड एमडीआर-62 पा तहसील बीसलपुर जनपद पीलीभीत में टैरेटरी मैनेजर (आर), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ग्राम नूरपुर तहसील आँवला जनपद बरेली द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक: 28-4/शस्त्र लिपिक-2015

दिनांक: 31.08.2015

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने संदर्भित पत्र का अवलोकन करने कष्ट करें, जिसके द्वारा खसरा संख्या-3/1 ग्राम मानपुर बीसलपुर बीसलपुर-बिलसण्डा रोड एमडीआर-62 पा, तहसील बीसलपुर जनपद पीलीभीत में टैरेटरी मैनेजर (आर), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ग्राम नूरपुर तहसील आँवला जनपद बरेली द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी पीलीभीत श्री ब्रह्मानन्द दुबे द्वारा सुसंगत मानकों के अनुसार किया गया तो की निरीक्षण संस्तुति आख्या दिनांक: 26.09.2015 के द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल लगभग-36.56 मीटर चौड़े बीसलपुर-बिलसण्डा रोड पर स्थित है, जहाँ फायर सर्विस के वाहन आसानी से आ-जा सकते हैं। प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल के मानचित्रों के अनुसार प्रस्तावित स्थल के उपर से कोई हाई/लोडेशन विद्युत लाइन नहीं गुजर रही है। प्रस्तावित स्थल के मानचित्र पेट्रोलियम रूल्स-2002 के अनुरूप पाये गये। प्रस्तावित स्थल के मानचित्र अग्निसुरक्षा के दृष्टिकोण से उपयुक्त है।

अतः खसरा संख्या-3/1 ग्राम मानपुर बीसलपुर बीसलपुर-बिलसण्डा रोड एमडीआर-62 पा, तहसील बीसलपुर जनपद पीलीभीत में टैरेटरी मैनेजर (आर), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ग्राम नूरपुर तहसील आँवला जनपद बरेली द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है:-

- 1- प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु सभी निर्माण कार्य पेट्रोलियम रूल्स-1934 एवं सम्बन्धित पेट्रोलियम रूल्स तथा रिटेल आउटलेट विषयक समय-समय पर यथा संशोधित विधियों एवं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुरूप किये जायेंगे।
- 2- प्रस्तावित स्थल के उपर से कोई हाइड्रेशन या लोडेशन विद्युत लाइन नहीं गुजारी जायेगी।
- 3- प्रस्तावित स्थल पर मानचित्रों में दर्शाये गये पेट्रोलियम पदार्थों के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण नहीं किया जायेगा।
- 4- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के उपरान्त प्रश्नगत स्थल पर किसी भी प्रकार के पदार्थों या स्थितियों आदि जो चिंगारी/आग उत्पन्न करते हो का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसके सम्बन्ध में समुचित उपाय सुनिश्चित किये

क्रमशः.....

जायेगे।

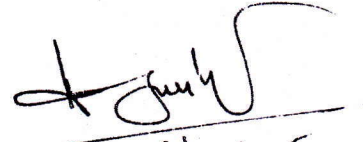
5- प्रस्तावित स्थल पर धूम्रपान निषेध बोर्ड एवं आग से सावधानी के संसूचक तथा आपातकालीन सेवाओं के टेलीफोन नं० की सूची लगाया/दर्शाया जाना अनिवार्य होगा।

6- प्रस्तावित स्थल पर समुचित अग्निशमन व्यवस्था ओ.आई.एस.डी. स्टेण्डर्ड, पेट्रोलियम रूल्स एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी उल्लेखित विधि के अनुरूप की जायेगी।

प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट का उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप निर्माण कराये जाने के उपरान्त अग्निशमन विभाग से उपरोक्त के सम्बन्ध में निरीक्षण/परीक्षण कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा जिसके उपरान्त ही रिटेल आउटलेट के संचालन हेतु अग्निशमन सुरक्षाओं का निर्देश निर्गत किये जायेंगे जिन्हे पूर्ण कराये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं प्रबन्धक का होगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र

कुल 01 वर्क


06/10/15
(अजय कुमार गुप्ता)
उपनिदेशक, फायर सर्विस
बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ।
- 2- मुख्य अग्निशमन अधिकारी पीलीभीत।
- 3- अग्निशमन अधिकारी जनपद पीलीभीत।
- 4- टैरेटरी मैनेजर (आर), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ग्राम नूरपुर तहसील आँवला जनपद बरेली।


(अजय कुमार गुप्ता)
उपनिदेशक, फायर सर्विस
बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र